रजिस्ट्री सं० डी०-(डी०)—78 REGISTERED No. D-(D) -78

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 30, 1978 (आश्विन 8, 1900)
No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 30, 1978 (ASVINA 8, 1900)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate Compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	767
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1297
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	13
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	929
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खण्ड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	—
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)-(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	2223
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)-(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	2673
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	263
भाग III—खण्ड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	5547
भाग III—खण्ड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	707
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	157
भाग III—खण्ड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1611
भाग IV—गैर सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	163

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	767
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1297
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders, and Resolutions issued by the Ministry of Defence	13
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	929
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PRT II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities other than the Administrations of Union Territories) ..	2223
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	2673
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	263
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	5547
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	707
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	157
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1611
PART IV—Advertisements and Notices by Private individuals and Private Bodies	163

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली दिनांक 24 अगस्त 1978

सं० 13519/2/78-जी० पी०(डेस्क-I)—राष्ट्रपति संघ शासित क्षेत्र दादर और नगर हवेली के लिए गृह मन्त्री की सलाहकार समिति का वर्ष 1978-79 के लिए सहर्ष गठन करते हैं जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे

पदेन सदस्य

(i) प्रशासक, दादर और नगर हवेली

(ii) संघ शासित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला संसद सदस्य

(iii) वरिष्ठ पंचायत का अध्यक्ष ।

गैर सरकारी सदस्य

(iv) श्री जयंतभाई एन० देसाई

(v) श्री देवाजी आर० गौड

(vi) श्रीमती सई गुना वाघ ।

उमा पिल्ले, उप सचिव

जी० पी०—2 अनुभाग

नई दिल्ली, दिनांक 31 अगस्त 1978

सं० 13019/4/78-जी० पी०-II—इस मंत्रालय की अधिसूचना सं० 13019/6/77-जी० पी० दिनांक 13-6-77 का अधिक्रमण करते हुए राष्ट्रपति वर्ष 1978-79 के लिए चण्डीगढ़ संघ शासित क्षेत्र के लिए गृह मंत्री की सलाहकार समिति गठित करते हैं, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे —

पदेन सदस्य

(1) मुख्य आयुक्त, चण्डीगढ़

(2) चण्डीगढ़ संघ शासित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य

(3) उप कुलपति, पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ ।

गैर-सरकारी सदस्य

1. श्री श्रीचन्द गोयल
2. श्री रोशन लाल बट्टा
3. श्री भोपाल सिंह
4. श्रीमती कान्ता स्वरूप कृष्ण
5. श्री आर० के० साबू
6. श्री जोगेन्द्र सिंह साहनी
7. श्री डी० डी० खन्ना
8. श्री अनन्त राम चुदन

जी० गणेश, उप सचिव

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त 1978

संकल्प

सं० 6/11/78-ई० पी० जैड०—भारत सरकार ने इस मंत्रालय के संकल्प सं० 6(11)/78-ई० पी० जैड, दिनांक 17 मई, 1978 के अनुसार प्रो० एम० जी० के० मेनन, सचिव भारत सरकार, इलैक्ट्रोनिक्स विभाग, नई दिल्ली की अध्यक्षता में इलैक्ट्रोनिक्स नियति समिति की स्थापना की थी । समिति को उक्त संकल्प के जारी होने की तारीख से तीन महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी ।

चूंकि समिति को विचार विमर्श करने तथा अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने में कुछ और समय लगने की संभावना है, अतः समिति की समयावधि को 30 सितम्बर, 1978 तक बढ़ाने का विनिश्चय किया गया है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा सभी राज्य सरकारों को इसकी प्रतियां भेजी जाय ।

पी० के० कोल, अपर सचिव

पैट्रोलियम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 सितम्बर 1978

आदेश

विषय :—के-I (कोचीन अपतटीय) संरचना के 682·5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाईसेंस की स्वीकृति ।

सं० 12012/11/78-प्रोडक्शन—पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 के उपनियम 5 के उपनियम (1) की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, तेल भवन, देहरादून (जिसे बाद में आयोग कहा जायेगा) ।

के-1 (कोचीन अपतटीय) संरचना के 682.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पैट्रोलियम मिलने की संभावना हेतु एक पैट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस 19-4-1978 से चार वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृति देती है । इसके विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची 'क' में दिये गये हैं ।

लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है :—

(क) अन्वेषण लाइसेंस पैट्रोलियम के संबंध में होगा

(ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ पाए गए पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा ।

(ग) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) निम्नलिखित दरों पर ली जायेगी

(i) समस्त अशोधित तेल तथा/कैसिंग हैड कंडेन्सट पर 42/-रु० प्रति मीटर टन या ऐसी दर जो समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(ii) प्राकृतिक गैस के संबंध में ये दर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय पर निर्धारित दर के अनुसार होगी ।

(iii) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) की अदायगी, पैट्रोलियम मंत्रालय, नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को की जायेगी ।

(घ) आयोग लाईसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों में गत माह से प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा, केसिंग हैड कंडेसेंट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल उचित मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्ण तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा । यह विवरण संलग्न अनुसूची "ख" में दिये गये प्रपत्र में भर कर देना होगा ।

(ङ) पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 की आवश्यकता के अनुसार नियम-II द्वारा 6000/-रु० की धन राशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा ।

(च) आयोग प्रतिवर्ष लाइसेंस के संबंध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी संगणना प्रत्येक वर्ग किलोमीटर या उसके किसी अंश जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया हो, निम्नलिखित दरों पर की जायेगी —

1. लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिए 4 रु०
2. लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए 20 रु०
3. लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए 100 रु०
4. लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिए 200 रु० ।
5. लाइसेंस के नवीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए 300 रु०।

(छ) पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 के नियम II के उपनियम (3) की आवश्यकतानुसार आयोग को अन्वेषण लाइसेंस के किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतंत्रता सरकार को दो माह के नोटिस के बाद होगी ।

(ज) आयोग केन्द्रीय सरकार की मांग पर उसका तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण के अन्तर्गत पाये गये समस्त खनिज, पदार्थों के संबंध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप से देगा । तथा हर छः महीने में निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनों व्यधन तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा ।

(झ) आयोग समुद्र की तलहटी और/या उसके धरातल पर आग लगाने संबंधी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिए ऐसे उपकरण सामान तथा साधन बनाये रखेगा और तीसरी पार्टी और/या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जायेगा ।

(ञ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (नियंत्रण और विकास) अधिनियम 1948 (1948 का 53) और पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम 1959 के उपबन्ध लागू होंगे ।

(ट) पैट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक जैसा दस्तावेज भर कर देगा जो अपतटीय क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य होगा ।

अनुसूची "क"

इस पैट्रोलियम लाइसेंस के अन्तर्गत के-1 संरचना (कोचीन अपतटीय) क्षेत्र आता है और यह अक्षांश 10 03 051° दक्षिण से 10 30 48° उत्तर और देशान्तर 75 41 3738° पश्चिम से 75 59 48° पूर्व और मानचित्र में किनारे के प्वाइंटों अर्थात् ए० बी० सी० और डी को मिलाते हुए चित्रित किया गया है तथा इसका क्षेत्रफल 682.5 वर्ग कि० मी० है । जहां पर यह क्षेत्र स्थित है उनके प्वाइंट जिन अक्षांशों और देशान्तरों पर पड़ते हैं तथा उनके बीच की दूरी निम्नलिखित है :

बेयरिंग

	अक्षांश			देशान्तर		
	डि०	मि०	से०	डि०	मि०	से०
प्वाइंट "ए" स्थित है	10	03	51	75	52	52
प्वाइंट "बी" स्थित है	10	27	66	75	41	37.8
प्वाइंट "सी" स्थित है	10	30	48	75	48	19.8
प्वाइंट "डी" स्थित है	10	07	30	75	59	48

तट पर तीन मुख्य स्थानों से दूर प्वाइंटों की लगभग दूरी निम्नलिखित है ।

1. कोचीन . . . 75 कि० मी०
2. कालीकट . . . . 90 कि० मी०
3. क्विलोन . . . . 200 कि० मी०

अनुसूची "ख"

अशोधित तेल केसिंग हैड कंडेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक वितरण

के-1 (कोचीन अपतटीय) संरचनाके लिए पेट्रोलियम अन्वेषण ला इसेंस ।

क्षेत्रफल : 682.5 वर्ग किलोमीटर

माह तथा वर्ष

क—अशोधित तेल

कुल प्राप्त किलो लिटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये किलो लिटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये लिटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त किलो लिटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ख—केसिंग हेड कंडेसेन्ट

प्राप्त किये गये कुल किलो लिटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये किलो लीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये किलो लीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त किलो लिटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ग—प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घन मीटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये गये घन मीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये घन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त घन मीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद्द्वारा मैं, श्री .... सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस विवरण में दी गयी सूचना पूर्णरूपेण सत्य और सही है उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्यनिष्ठ से यह घोषणा करता हूं।

हस्ताक्षर ....

भारत के राष्ट्रपति के आदेश एवं नाम में

एस० एम० वाई० नदीम, अवर सचिव

उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक विकास विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 22 अगस्त 1978

सं० डी० सी० एच०/ए०आई०एच०एफ०एम०/77—इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या डी० सी० एच०/ए० आई० एच० एफ० एम०/77 दिनांक 20 अप्रैल, 1978 में कहा गया था कि अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति लि० बम्बई की वर्तमान कार्य प्रणाली के अध्ययन के लिये नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री के० नारायण की अध्यक्षता में गठित की गई समिति अपना प्रतिवेदन 30 जून 1978 तक प्रस्तुत कर देगी।

अब यह विनिश्चय किया गया है कि समिति की इस अवधि को 30 सितम्बर 1978 तक बढ़ा दिया जाये।

दौलत राम, उप सचिव

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक अगस्त 1978

संकल्प

सं० 6-1/77-एफ० आर० वाई०/एफ० आई० पी० सी०—कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) के संकल्प सं० 7-9/76-एफ० आर० वाई०/एफ० आई० पी० सी० दिनांक 29-1-77 के क्रम में, जिसके द्वारा पैनल उत्पाद संबंधी विकास समिति गठित की गई थी, तथा कथित विकास समिति के सदस्यों के रूप में निम्नांकित व्यक्तियों को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है। उनके नाम उक्त संकल्प की क्रम सं० 18 के बाद निम्नांकित रूप में होंगे :—

19. श्री एल० एन० डोकनिया, प्रबन्ध निदेशक, मैसर्स वुडक्राफ्ट्स प्रोडक्ट्स लि०, 9/1, आर० एन० मुखर्जी मार्ग, कलकत्ता-700001। — सदस्य

20. श्री ए० के० कावरकुट्टी, प्रबन्ध निदेशक, द वैस्टर्न इण्डिया प्लाइवुड्स लि०, पो० आ० बलियापटम, जिला कन्नानोर, केरल। — सदस्य

21. श्री एम० आर० मौतेयद, अध्यक्ष, प्लाईवुड विनिर्माता संघ, पश्चिम बंगाल, 22 स्ट्रैन्ड रोड, कलकत्ता-700001। — सदस्य

22. परियोजना अर्थशास्त्री (वा०) कृषि विभाग (कृषि विभाग के सहायक वन महानिदेशक के स्थान पर) — संयोजक

समिति के कार्यों तथा समिति की अवधि के संबंध में कोई परिवर्धन/परिवर्तन नहीं होगा।

जहां तक भत्ता/दैनिक भत्ता आदि का संबंध है उसे सदस्य उसी स्रोत से प्राप्त करेंगे जिससे वे अपना वेतन तथा परिलब्धियां प्राप्त करते हैं।

दिनांक 8 सितम्बर 1978

सं० 7-9/75-एफ० आर० वाई०/एफ० आई० पी० सी०—भारत सरकार ने संकल्प सं० 7-9/76-एफ० आर० वाई/एफ० आई० पी० सी० दिनांक 9 फरवरी, 1977 के द्वारा तैलोधास (ओलियोरेजिन) गोंद और आवश्यक तेलों के लिए एक विकास समिति गठित की है। उक्त समिति के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं :—

(1) विद्यमान उद्योगों को कच्चे माल की सप्लाई की स्थिति पर विचार करना, निरन्तर सप्लाई के मार्ग में बाधक कठिनाइयों का पता लगाना और उपयुक्त उपायों की सिफारिश करना ;

(2) मौजूदा यूनिटों के विस्तार या नई यूनिटें लगाने हेतु कच्चे माल की सप्लाई संबंधी प्रस्तावों पर विचार करना ;

(3) कच्चे माल की मौजूदा तथा भावी आवश्यकताओं के आधार पर बागान तैयार करने के लिए कार्यक्रमों का सुझाव देना ;

(4) मंडी में नये उत्पादों को आगे बढ़ाने के लिए विकास। अनुसंधान प्रभावों के संबंध में सिफारिश करना।

इस समय वन महानिरीक्षक की अध्यक्षता में रैजिन और तारपीन संबंधी एक केन्द्रीय समन्वय समिति भी विद्यमान है। केन्द्रीय समन्वय समिति के कार्य इस प्रकार हैं :—

(क) सन् 1971 में हुए 'सिम्पाइन' सम्मेलन की विभिन्न सिफारिशों का क्रियान्वयन;

(ख) समग्रत: देश के हित के लिए रैजिन और तारपीन उद्योग की स्वस्थ वृद्धि के संबंध में की गई प्रगति और भविष्य के लिए प्रस्तावित कार्यवाही पर समय-समय पर विचार करना।

(ग) कोई भी अन्य सम्बद्ध मामला।

शुरू में केन्द्रीय समन्वय समिति का कार्यकाल दिसम्बर, 1975 तक था परन्तु संकल्प सं० 7-9/75 एफ० आर० वाई०/एफ० आई० पी० सी० दिनांक 22 जनवरी, 1976 के द्वारा इसको दिसम्बर, 1978 के अन्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

उपर्युक्त दो समितियों के बीच एक ही कार्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिए केन्द्रीय सरकार ने रैजिन और तारपीन संबंधी समन्वय समिति को तुरन्त समाप्त करने का निर्णय ले लिया है और तत्पश्चात् रैजिन और तारपीन संबंधी केन्द्रीय समन्वय समिति के कार्यों की देखभाल तैलोधास (ओलियोरेजिन) गोंद और आवश्यक तेलों के विकास से संबंधित समिति करेगी।

एम० डी० जयाल, संयुक्त सचिव

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 सितम्बर 1978

सं० एफ० 12-28/78-पी० एन० 2—भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के 'संस्था ज्ञापन पत्र और नियमावली' के नियम 3 के अन्तर्गत, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता के इतिहास विभाग के अध्यक्ष और कानून संकाय के संयोजकाध्यक्ष प्रो० अमा लेस त्रिपाठी को न्यामूर्ति वी० आर० कृष्ण अय्यर के स्थान पर जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् के एक सदस्य के रूप में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामजद किया गया है। प्रो० अमालेस त्रिपाठी की सदस्यता की अवधि 31-3-1981 तक होगी।

डी० सेन गुप्ता, अवर सचिव

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 सितम्बर 1978

सं० एम० ई०-11013/4/77-एम०—भारत मौसम विज्ञान विभाग पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों पर सरकारी निर्णयों का कार्यान्वयन करते हुए राष्ट्रपति ने 1-10-1978 से वैधशालाओं के महानिदेशक के पद का नाम बदल कर मौसम विज्ञान के महानिदेशक (डी० जी० एम०) तथा वैधशालाओं के उप महानिदेशक का नाम मौसम विज्ञान के उप महानिदेशक कर दिया है।

एम० सूर्यनारायण अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 21 सितम्बर 1978

संकल्प

सं० एम० ई०-11013/4/77-एम०—भारत सरकार ने भारत मौसम विज्ञान विभाग के संगठन और कार्यकलापों का पुनरीक्षण करने के लिये डा० आर० रमण निदेशक भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र बम्बई की अध्यक्षता में एक समिति (समीक्षा समिति) का गठन किया था। समिति की एक मुख्य सिफारिश यह थी कि सरकार के अधीनवर्ती किसी बड़े वैज्ञानिक संगठन के सुचारू रूप से कार्य करने के लिये युक्तिसंगत तकनीकी तथा आर्थिक सिद्धान्तों पर विभिन्न कार्यकलापों को योजनाबद्ध एवं क्रियान्वित करने के लिये एक ऐसी उच्च शक्ति सम्पन्न परिषद का गठन किया जाये जो पूर्ण प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों से सम्पन्न हो। कृषि विमानन रक्षा आदि में मौसम पूर्वानुमान के अत्यधिक महत्व तथा वायुमण्डलीय विज्ञानों के क्षेत्र में होने वाली तीव्र प्रगति पर भी विचार करते हुए और पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक ऐसे प्रभावी प्रबन्धात्मक संगठन का सृजन करने का निर्णय किया है जिससे प्रबन्ध में विभागीय अधिकारियों को भाग लेने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा और निर्णय लेने सम्बन्धी प्रक्रिया में भी तेजी आयेगी तथा इस प्रयोजन के लिये एक मौसम विज्ञान तथा वायुमण्डलीय विज्ञान परिषद (सी० एम० ए० एस०) का गठन किया जायेगा।

2. मौसम विज्ञान तथा वायुमण्डलीय विज्ञान परिषद (सी० एम० ए० एस०) का गठन तथा उसके कार्यकलाप निम्नलिखित पैरों में वर्णित प्रकार से होंगे।

3. गठन

3.1 परिषद में निम्नलियखत सम्मिलित होंगे:—

(1) सचिव पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय	अध्यक्ष
(2) महानिदेशक मौसम विज्ञान	सदस्य
(3) भारत मौसम विज्ञान विभाग के तीन अपर महानिदेशक	सदस्य
(4) राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी समिति के अध्यक्ष के परामर्श से नामित भारत मौसम विज्ञान विभाग से बाहर के तीन वैज्ञानिक	सदस्य
(5) निदेशक भारतीय उष्णकटिबन्धीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे	सदस्य
(6) निदेशक भारतीय भूचुम्बकत्व संस्थान बम्बई	सदस्य
(7) वित्त सचिव द्वारा नामित एक वित्त सदस्य	सदस्य
(8) भारत मौसम विज्ञान विभाग का एक अधिकारी	गैर-सदस्य सचिव

3.2 परिषद पर नामित किये गये वैज्ञानिकों का कार्यकाल तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा।

3.3 जब तक अपर महानिदेशक पद पर आसीन न हों तब तक उप महानिदेशकों को बैठकों में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया जाये। उसके बाद भी जब कभी आवश्यक हो भारत मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारियों को बैठकों में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया जा सकता है। जब कभी आवश्यक हो परिषद अन्य मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों को भी अपनी बैठकों में भाग लेने के लिये आमंत्रित कर सकती है।

4. कार्य

4.1. परिषद के कार्य निम्न प्रकार होंगे:—

(1) भारत मौसम विज्ञान विभाग के प्रमुख नीतियों सम्बन्धी मामलों का अनुमोदन करना।

(2) भारत मौसम विज्ञान विभाग के कार्यक्रमों का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

(3) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग करारों आदि पर विचार विमर्श करना तथा उनको अन्तिम रूप देना।

(4) भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और भारतीय भूचुम्बकत्व संस्थान की शासी परिषदों द्वारा उठाये गये मामलों और ऐसे मामलों पर जो उनकी शासी परिषदों की शक्तियों से बाहर हों विचार करना।

(5) आई० आई० टी० एम० आई० आई० जी० तथा आई० एम० डी० के बीच समन्वयन करना।

(6) भर्ती पदोन्नति और जनशक्ति योजना सेवा शर्तों और अन्य कार्मिक सम्बन्धी मामलों से संबंधित नीतियों पर विचार करना।

(7) निदेशकों और उनसे ऊपर के स्तर के वरिष्ठ स्टाफ की पदोन्नतियों को कार्यान्वित करना।

(8) योग्यता-परक पदोन्नतियों जैसी प्रोत्साहन योजनाओं पर विचार करना।

(9) सरकार को प्रस्तुत करने के लिये बजट का अनुमोदन करना।

(10) 2 लाख रुपयों से अधिक लागत के उपकरणों की खरीद और 7.5 लाख रुपयों से अधिक लागत के सिविल निर्माण-कार्यों का अनुमोदन करना परन्तु जो परिषद की शक्तियों के अन्तर्गत आते हों।

(11) समितियों जैसे मौसम विज्ञान कार्यकारिणी समिति (एम० ई० सी०) और मौसम विज्ञान कार्यक्रम सलाहकार समिति (एम० पी० ए० सी०) द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करना।

(12) भारत सरकार के उपभोक्ता मंत्रालयों/विभागों की मौसम विज्ञान सम्बन्धी अपेक्षाओं का निर्धारण करना।

(13) भारत में तत्काल ड्यूटी के लिये स्टाफ की हवाई यात्रा सम्बन्धी नीति बनाना।

(14) महानिदेशक मौसम विज्ञान और भारत मौसम विज्ञान विभाग में अन्य अधिकारियों को वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों के पुनः प्रत्यायोजन (रिडेलीगेशन) का अनुमोदन करना।

(15) मौसम विज्ञान कार्यकारिणी समिति (एम० ई० सी०) और क्षेत्रीय मौसम विज्ञान समितियों (आर० सी० एम्स) द्वारा प्रयोग की जाने वाली वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों की सीमा निर्धारित करना।

(16) कार्यविधि से संबंधित अपने नियम बनाना।

(17) ऊपर किसी भी मद में सम्मिलित न किये गये अन्य किसी सम्बद्ध मामले पर विचार करना।

4.2. परिषद के गठन के बाद भी भारत मौसम विज्ञान विभाग वर्तमान की तरह सरकारी ढांचे का ही एक भाग बना रहेगा। परिषद की नीति तथा सम्बद्ध मामलों से सम्बन्धित सभी सिफारिशें सचिव के माध्यम से मंत्री जी को प्रस्तुत की जायेंगी। जहां कहीं अपेक्षित हो परिषद द्वारा पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के सचिव के माध्यम से मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

5. शक्तियां

परिषद की शक्तियां निम्न प्रकार होंगी :—

5.1. मौसम विज्ञान और वायुमण्डलीय विज्ञान परिषद (सी० एम० ए० एस०) भारत मौसम विज्ञान विभाग से संबंधित सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का (सभी नियमों, विनियमों और आदेशों आदि से संबंधित) जो इस समय पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में निहित हैं, प्रयोग करेगी। ऐसे मामलों में भी जिनका प्रशासन ऐसे मंत्रालयों के हाथ में है जो प्रत्यक्ष रूप से शक्तियों का प्रयोग नहीं करते, और जिनमें शक्तियां सचिव, पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय को या इसके वित्त सलाहकार को प्रत्यायोजित की गई हैं, ऐसी शक्तियां मौसम विज्ञान और वायुमण्डलीय विज्ञान परिषद (सी० एम० ए० एस०), में निहित होंगी। ऐसे सभी प्रस्तावों का, जिनमें वित्तीय मामले सम्मिलित हैं, वित्त सदस्य द्वारा अनुमोदन किया जायेगा।

5.2 भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के सम्बन्ध में एक करोड़ रु० तक की स्कीमों की मंजूरी देने की शक्तियों का प्रयोग परिषद (सी० एम० ए० एस०) कर सकती है। इन शक्तियों में निर्माण कार्य और स्टाफ (योजना स्कीम के मामलों में 10 लाख रु० प्रतिवर्ष की लागत तक और गैर योजना स्कीम के मामले में 5 लाख रु० तक) की मंजूरी की शक्तियां भी शामिल हैं। ये शक्तियां इस समय स्थाई समिति कार्यविधि माध्यम से पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के पास हैं। मौसम विज्ञान और वायुमण्डलीय विज्ञान परिषद (सी० एम० ए० एस०) को इस प्रयोजन के लिए स्थाई समिति के रूप में मान्यता दी जायेगी। समिति में सचिव और वित्तीय सदस्य होंगे और समिति की मान्यता तभी स्वीकार की जायेगी जब सचिव और वित्त सदस्य भी उपस्थित हों। मौसम विज्ञान और वायु मण्डलीय विज्ञान परिषद (सी० एम० ए० एस०) योजना आयोग या अन्य संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को जब कभी आवश्यक होगा अपनी बैठकों में भाग लेने के लिये आमंत्रित करेगी। एक करोड़ रु० से अधिक की स्कीमों के लिये, परिषद व्यय वित्त समिति/लोक पूंजी निवेश बोर्ड की कार्यविधियों का पालन करते हुए वित्त मंत्रालय/मंत्रिमण्डल का अनुमोदन लेगी।

5.3 विदेशी मुद्रा की निर्मुक्ति की शक्तियां जिस सीमा तक इस समय सचिव, पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में निहित हैं, उस सीमा तक उन शक्तियों का प्रयोग मौसम-विज्ञान और वायुमण्डलीय विज्ञान परिषद (सी० एम० ए० एस०) करेगी।

5.4. छः मास से अधिक समय तक खाली पदों को भरने पर लगे प्रतिबन्ध में छूट देने की शक्ति का प्रयोग मौसम विज्ञान और वायुमण्डलीय विज्ञान परिषद कर सकती है, बशर्ते कि परिषद में वित्तीय सदस्य उपस्थित हों। इस समय यह शक्ति वित्त सलाहकार में निहित है।

5.5 परिषद की अपनी शक्तियां महानिदेशक मौसम विज्ञान, मौसम विज्ञान कार्यकारिणी समिति, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान समितियों और भारत मौसम विज्ञान विभाग के कार्यालय अध्यक्षों को पुनः प्रत्यायोजित करने की शक्तियों का प्रयोग जिस सीमा तक आवश्यक हो, मौसम विज्ञान और वायुमण्डलीय विज्ञान परिषद द्वारा किया जायेगा।

6. परिषद के अधिकार क्षेत्र में आने वाले और उसके द्वारा स्वीकृत सभी प्रस्तावों को (वित्तीय आशय वाले मामलों के सम्बन्ध में विचार विमर्श के समय वित्त सदस्य की उपस्थिति आवश्यक होगी), अलग से वित्त सदस्य/अध्यक्ष/किसी अन्य प्राधिकारी को भेजे बिना कार्यान्वित कर दिया जायेगा और इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी कर दिये जायेंगे। यदि वित्त सदस्य के वित्तीय आशय वाले मामलों पर परिषद के अध्यक्ष से मतभेद हैं, तो इन्हें निर्णय के लिये पर्यटन और नागर विमानन मंत्री के माध्यम से वित्त मंत्री को भेजा जायेगा।

7. परिषद के किसी सदस्य या भारत मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारियों को सचिवालय अधिकारियों को पदेन हैसियत प्रदान नहीं की जायेगी, परन्तु भारत मौसम विज्ञान विभाग के कुछ अधिकारियों को, जिनका निर्णय गृह मंत्रालय के परामर्श से किया जायेगा, भारत के राष्ट्रपति की ओर से वित्तीय मंजूरियों को हस्ताक्षरित करने का अधिकार होगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुख्यालय के अधिकारी अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागों और राज्य सरकारों के साथ सीधे पत्र व्यवहार कर सकेंगे।

8. परिषद की बैठक तीन महीने में कम से कम एक बार अवश्य होगी।

9. यदि भविष्य में मौसम विज्ञान और वायुमण्डलीय विज्ञान परिषद, मौसम विज्ञान कार्यकारिणी समिति या मौसम विज्ञान कार्यक्रम सलाहकार समिति के गठन अथवा कार्यकलापों में किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हुई तो पर्यटन और नागर विमानन मंत्री के अनुमोदन से ऐसा किया जा सकेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रतिलिपि, जोकि 1-10-1978 से लागू होगा, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों/संघ लोक सेवा आयोग तथा भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को प्रेषित की जायें।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचना के लिये भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाये।

चन्द्रमणि चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 24th August 1978

No. 13019/2/78-GP(DESK I).—The President is pleased to constitute the Home Minister's Advisory Committee for the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli for the year 1978-79 with the following members.

Ex-Officio members

(i) The Administrator, Dadra and Nagar Haveli.

(ii) The Member of Parliament representing the Union Territory.

(iii) The Chairman, Varishta Panchayat.

Non-Official members

(iv) Shri Jayantbhai N. Desai.

(v) Shri Devaji R. Gond.

(vi) Smt. Sai Guna Vagh.

UMA PILLAI, Dy. Secy.

New Delhi-110001, the 31st August 1978

No. 13019/4/78-G.P.II.—In supersession of this Ministry's Notification No. 13019/6/77-G.P. dated 13-6-1977, the President is pleased to constitute the Home Minister's Advisory Committee for the Union Territory of Chandigarh for the year 1978-79 with the following members :—

Ex-Officio Members

1. Chief Commissioner, Chandigarh.
2. M. P. representing the U.T. of Chandigarh.
3. Vice-Chancellor, Punjab University, Chandigarh.

Non-Official Members

1. Shri Sri Chand Goel.
2. Shri Roshan Lal Batta.
3. Shri Bhopal Singh.
4. Smt. Kanta Saroop Krishen.
5. Shri R. K. Saboo.
6. Shri Joginder Singh Sahwney.
7. Shri D. D. Khanna.
8. Shri Anant Ram Badhan.

G. GANESH, Dy. Secy.

MINISTRY OF COMMERCE

CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

New Delhi, the 19th August 1978

RESOLUTION

No. 6/11/78-EPZ.—The Government of India had set up a committee on Electronics Exports under the Chairmanship of Prof. M. G. K. Menon, Secretary to the Government of India, Department of Electronics, New Delhi, vide this Ministry's Resolution No. 6(11)/78-EPZ dated 17th May, 1978. The committee was to submit its report within three months from the date of issue of the said Resolution.

Since the deliberations of the committee are likely to take some more time, and to finalise its report it has been decided to extend the term of the committee till 30th September, 1978.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution may be published in the Gazette of India for general information and communicated to all Ministries of the Government of India and all State Governments.

P. K. KAUL, Additional Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM

New Delhi, the 6th September 1978

ORDER

Subject : Grant of Petroleum Exploration Licence for K-I (Cochin Off-shore) structure area measuring 682.5 sq. kms.

No. 12012/11/78-Prod.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-rule (1) of rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil & Natural Gas Commission, Tel Bhavan, Dehradun (hereinafter referred to as Commission) a Petroleum Exploration Licence to prospect for Petroleum for four years from 19-4-1978 in K-I (Cochin off-shore) structure area measuring 682.5 sq. kms. the particulars of which are given in Schedule 'A' annexed hereto.

The Grant of Licence is subject to the terms and conditions mentioned below.

(a) The Exploration Licence should be in respect of Petroleum.

(b) If any minerals are found during the exploration work, the Commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(c) Royalty at the rates mentioned below shall be charged.

(i) Rs. 42/- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing head condensate.

(ii) In case of natural gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time.

The royalty shall be paid to the Pay & Accounts Officer, Department of Petroleum, New Delhi.

(d) The Commission shall, within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government, a full proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing head condensate and natural gas obtained during the preceeding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 6,000/- as security as required by rule 11 of the PNG Rules, 1959.

(f) The Commission shall pay every year a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each square kilometer or part thereof covered by the licence.

(i) Rs. 4/- for the first year of the licence;

(ii) Rs. 20/- for the second year of the licence;

(iii) Rs. 100/- for the third year of the licence;

(iv) Rs. 200/- for the fourth year of the licence; and

(v) Rs. 300/- for the first and second years of renewal.

(g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two month's notice in

writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of rule 11 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(h) The Commission shall immediately on demand submit to the Central Government confidentially a full report of the geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations, boring and exploration to the Central Government.

(i) The Commission shall take preventive measures against the hazard of fire under sea bed and/or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinguish the fire at all times and shall pay such compensation to third party and/or Government as may be determined in case of damage due to the fire.

(j) This exploration Licence shall be subject to the provisions of the Oil fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(k) The Commission shall execute a deed of the Petroleum exploration licence in the form applicable to offshore areas as approved by the Central Government.

SCHEDULE 'A'

The area Covered by this Petroleum Exploration Licence falls in K-I structure (Cochin Off-shore) area and lies between latitudes 10°, 03′, 51″ South to 10°, 30′, 48″ North and longitudes 75°, 41′, 37·8″ West to 75°, 59′, 48″ East and is delineated on the map by the line joining the corner points at ABC and D and measures 682·5 sq. kms. area. The latitudes and longitudes on which the points covering the area fall and the distance in between them are as follows :

	Bearing Latitude			Longitude		
	Deg.	Min.	Sec.	Deg.	Min.	Sec.
Point A is at	10	03	51	75	52	52
Point B is at	10	27	66	75	41	37·8
Point C is at	10	30	48	75	48	19·8
Point D is at	10	07	30	75	59	48

Approximate distance of farthest point from three prominent places on land are as follows :

1. Cochine . . . . . 75 Kms.
2. Calicut . . . . . 90 Kms.
3. Quilon . . . . . 200 Kms.

SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and value thereof.
Petroleum Exploration Licence for K-I (Cochin off-shore) structure
Area : Measuring 682·5 sq. Kms.
Month and Year

A. Crude Oil

Total No. of Kilolitres obtained	No. of Kilolitres unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Kilolitres used for purpose of petroleum exploration operation approved by the Central Government	No. of Kilolitres obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

A. Casing head Condensate

Total number of Kilolitres obtained	No. of Kilolitres unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Kilolitres used for purposes of petroleum exploration approved by Central Government	No. of Kilolitres obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

C. Natural Gas

Total number of cubicmetres obtained	Number of cubic-metres unavoidably lost or returned to natural reservoir.	Number of cubic-metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Government	Number of cubic-metres obtained less columns 2 and 3	Remrks
1	2	3	4	5

I, Shri.....do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.

By order and in the name of the President of India.

S. M. Y. NADEEM, Under Secy.

MINISTRY OF INDUSTRY

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

New Delhi, the 22nd August 1978

No. DCH/AIHFM/77.—In this Ministry's Notification No. DCH/AIHFM/77 dated the 20th April, 1978, it was stated that the Committee set up to study the present working of the All India Handloom Fabric Marketing Cooperative Society Ltd., Bombay under the Chairmanship of Shri K. Narayanan, Joint Secretary, Ministry of Civil Supplies & Cooperation will submit its report by 30th June, 1978.

It has since been decided to extend the term of the Committee upto 30th September, 1978.

DAULAT RAM, Dy. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE)

New Delhi, the August 1978

RESOLUTION

No. 6-1/77-FRY(FIPC).—In continuation of the Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Agriculture) Resolution No. 7-9/76-FRY/FIPC dated 29-1-77 constituting the Development Committee for Panel Products, it has been further decided to include the following individuals as members of the said Development Committee. Their names will appear after serial number 18 of the said Resolution as indicated below :—

Members

19. Shri L. N. Dokania,
Managing Director, M/s Woodcrafts Products Ltd., 9/1, R. N. Mukherjee Road, Calcutta-700001.

20. Shri A. K. Kaderkutty,
Managing Director, The Western India Plywoods Ltd., P.O. Baliapatam, Cannanore Distt. Kerala State.

21. Shri M. R. Motayed,
President, Plywood Manufacturers Association of West Bengal, 22, Strand Road, Calcutta-700001.

Convenor

22. Project Economist (Fry.), Department of Agriculture (Instead of Assistant Inspector General of Forests, Department of Agriculture).

There will be no addition/alternation concerning functions of the Committee and duration of the Committee.

So far as T.A./D.A. etc. is concerned, it will be drawn by the member from the same source from which he draws his salary and perquisites.

The 8th September 1978

RESOLUTION

No. 7-9/75-FRY/FIPC.—The Government of India have constituted a Development Committee for Oleo-resins; Gums & Essential Oils vide Resolution No. 7-9/76-FRY/FIPC dated the 9th February, 1977. The chief functions of the said Committee are as below :—

(i) To consider the raw materials supply position to the existing industries, identify the difficulties in ensuring sustained supply and recommend suitable measures;

(ii) To consider proposals for raw materials supply for the expansion of existing units or establishment of new ones;

(iii) To recommend programmes for the creation of plantations based on the present and prospective needs of raw materials;

(iv) To recommend development/research efforts for pushing new products into the market.

At present there is also one Central Coordination Committee for Rosin & Turpentine which is functioning under the Chairmanship of Inspector General of Forests. The functions of the Central Coordination Committee are as under :—

(a) Implementation of the different recommendations of 'Sympine' Conference held in 1971.

(b) Reviewing periodically the progress made and the future action proposed from time to time for the healthy growth of the rosin and turpentine industry for the overall benefit of the country;

(c) Any other related matter.

Initially, the Central Coordination Committee's duration was upto December, 1975, but the same was extended upto the end of December, 1978 *vide* Resolution No. 7-9/75-FRY/FIPC, dated the 22nd January, 1976.

In order to avoid duplication of work between the above two Committees, the Government of India have now decided to wind up the Central Coordination Committee for Rosin & Turpentine with immediate effect and thereafter the Development Committee for Oleo-resins, Gums and Essential Oils will take care of the functions of the Central Coordination Committee for Rosin & Turpentine.

N. D. JAYAL, Jt. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE

New Delhi, the 13th September 1978

No. F. 12-28/78-PN.2.—Under Rule 3 of the 'Memorandum of Association and Rules' of the Indian Council of Social Science Research, Prof. Amales Tripathi, Head of the Department of History and Dean, Faculty of Law, Calcutta University, Calcutta, has been nominated to represent the Government of India as Member of the Indian Council of Social Science Research, *vice* Justice V. R. Krishna Iyer, whose term has since expired. The term of Membership of Prof. Amales Tripathi will be upto 31-3-1981.

D. SENGUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

New Delhi, the 21st September 1978

SUBJECT : Re-designation of posts in India Meteorological Department.

No. ME 11013/4/77-M.—In implementation of the Government's decisions on the recommendations of the India Meteorological Department Review Committee, the President is pleased to redesignate effective from 1.10.1978 the post of Director General of Observatories as Director General of Meteorology (DGM) and the posts of Deputy Director General of Observatories as Deputy Director General of Meteorology.

M. SURYANARAYANA, Under Secy.

RESOLUTION

No. ME-11013/4/77-M.—The Government of India had set-up a Committee (Review Committee) under the Chairmanship of Dr. R. Ramanna Director, Bhabha Atomic Research Centre, Bombay, to review the organisational structure and functions of the India Meteorological Department. One of the main recommendations of the Committee was that, for smooth functioning of a large scientific organisation under the Government, a high powered Council with full administrative and financial power to plan and implement the various programmes on sound technical and economic principles be constituted. Considering the tremendous importance of meteorological forecasts in agriculture, aviation, defence, etc., and also the rapid advances taking place in the area of atmospheric sciences, and taking into account the recommendations of the Review Committee, Government have decided to create an effective management structure which would involve participation of the departmental officers in the management, and also quicken the process of decision-making, and for this purpose, constitute a Council for Meteorology and Atmospheric Sciences (CMAS).

2. The composition and functions of the Council for Meteorology & Atmospheric Sciences (CMAS) shall be as set out in the following paragraphs.

3. *Composition.*

3.1 The Council shall consist of the following :

Chairman

(1) Secretary, Ministry of Tourism & Civil Aviation.

Members

(2) Director General of Meteorology.

(3) Three Additional Directors General of India Meteorological Department.

(4) Three Scientists outside the India Meteorological Department to be nominated on the advice of Chairman, National Committee on Science & Technology.

(5) Director, Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune.

(6) Director, Indian Institute of Geomagnetism, Bombay.

(7) One Financial Member to be nominated by Finance Secretary.

Non-Member Secretary

(8) An Officer of India Meteorological Department.

3.2 The Scientists nominated to the Council shall serve for a period not exceeding three years.

3.3 Until Additional Directors General are in position, the Deputy Directors General may be invited to attend the meetings. Even thereafter, Officers of the India Meteorological Department may be invited to attend the meetings, whenever necessary. The Council may also invite officers of other Ministries/Departments to attend its meetings whenever necessary.

4. *Functions*

4.1 The Council shall have the following functions :

(i) To approve major policy matters of the India Meteorological Department.

(ii) To ensure expeditious implementation of the programmes of the India Meteorological Department.

(iii) To discuss and finalise international collaboration, agreements, etc.

(iv) To consider all matters raised by the Governing Councils of Indian Institute of Tropical Meteorology and Indian Institute of Geomagnetism, and also such matters as are beyond the powers of the Governing Councils.

(v) To effect co-ordination between the Indian Institute of Tropical Meteorology, the Indian Institute of Geomagnetism and the Indian Meteorological Department.

(vi) To consider policies regarding recruitment, promotion, manpower planning, service conditions and other personnel matters.

(vii) To implement promotions of senior staff (at the level of Directors and above).

(viii) To consider incentive schemes, like merit promotions.

(ix) To approve the budget for presentation to the Government.

(x) To approve purchase of instruments costing more than Rs. 2 lakhs, and civil works costing more than Rs. 7.5 lakhs, but coming within the powers of the Council.

(xi) To consider the recommendations made by the Committees viz., Meteorological Executive Committee (MEC) and Meteorological Programme Advisory Committee (MPAC).

(xii) To assess the meteorological requirements of the user Ministries/Departments of the Government of India.

(xiii) To formulate policy for air travel of staff on urgent duty within India.

(xiv) To approve re-delegation of financial and administrative powers to Director General of Meteorology and other officers in India Meteorological Department.

(xv) To lay down the limits upto which financial and administrative powers may be exercise by Meteorological Executive Committee (MEC) and Regional Committees for Meteorology (RCMs).

(xvi) To formulate its own rules of procedures.

(xvii) to consider any other relevant matter not included in any of the items above.

4.2 Even after the formation of the Council, the India Meteorological Department shall continue to be a part of the governmental set-up as hitherto. All recommendations of the Council regarding policy and allied matters shall be put up to the Minister through Secretary. Approval of the Minister, whenever required, would be obtained by the Council through the Secretary, Ministry of Tourism & Civil Aviation.

5. *Powers*

The powers of the Council will be as under :

5.1 The Council for Meteorology & Atmospheric Sciences (CMAS) shall exercise all administrative and financial powers in respect of the India Meteorological Department (with regard to all rules, regulations, orders, etc.) vested with the Ministry of Tourism & Civil Aviation. In matters administered by other nodal Ministries, where powers have been delegated to the Ministry of Tourism & Civil Aviation or its Financial Adviser, such powers shall be vested with the CMAS. All proposals involving financial implications shall require concurrence of the Finance member.

5.2 Scheme sanctioning powers in respect of the India Meteorological Department upto Rs. 1 crore including powers to sanction works and staff (costing upto Rs. 10 lakhs) per annum in the case of plan-schemes and upto Rs. 5 lakhs for non-plan schemes) now with the Ministry of Tourism & Civil Aviation, through standing committee procedure shall be exercise by the Council. Council for Meteorology and Atmospheric Sciences itself with Secretary, Ministry of Tourism & Civil Aviation and Finance Member present shall be recognised as the Standing Committee for the purpose. Council for Meteorology & Atmospheric Sciences may invite representatives of Planning Commission or other concerned Ministries to attend its meetings, whenever necessary. For schemes above Rs. 1 crore, Council shall obtain the approval of the Ministry of Finance/Cabinet following Expenditure Finance Committee/Public Investment Board procedures.

5.3 Powers for release of foreign exchange to the extent now vested with the Secretary, Ministry of Tourism & Civil Aviation, shall be exercised by the Council for Meteorology and Atmospheric Sciences (CMAS).

5.4 Power to relax ban on filling posts vacant for more than six months, which is now vested with Financial Adviser, shall be exercised by the CMAS with the Finance Member present.

5.5 Powers to redelegate its powers to Director General of Meteorology, Meteorological Executive Committee, Regional Committes for Meteorology and head of offices of India Meteorological Department to the extent found necessary shall be exercised by the Council for Meteorology & Atmospheric Sciences.

6. All proposals coming with the powers of the Council and accepted by it (with the Finance Member present in relation to matters having financial implications), shall be implemented and necessary orders issued, without further reference to the Finance Member/Chairman/any other authority. Where the Finance Member has a diffrence of opinion with the Chairman of the Council in matters having financial implications, these shall be refererd to the Finance Minister through the Minister of Tourism & Civil Aviation for a decision.

7. No member of the Council or Officers of the India Meteorological Department shall be accorded ex-officio status of Secretariat Officers, but some of the officers of the India Meteorological Department, as may be decided in consultation with the Ministry of Home Affairs, shall be authorised to sign sanctions on behalf of the President of India. Officers of the Headquarters office of India Meteorological Department may correspond drectly with other Ministries and Departments of the Central and State Governments.

8. The Council shall meet at least once in three months.

9. Changes, if any, needed in future, in the composition and functions of Council for Meteorology & Atmospheric Sciences shall be made with the approval of the Minister of Tourism & Civil Aviation.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolutiin which shall take effect from 1.10.1978 be communicated to all the Ministries/Departments of the Government of India and all the State Governments/Union Territories/Union Public Service Commission and the Comptroller & Auditor General of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

C. M. CHATURVEDI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1978